निर्णय बइजलास श्री शाकिसिंह मारी सहायक कलक्टर (S.D.O.) देवगढ़

प्र.सं. 117/2018 प्रा पत्र ।

निर्णय दिनांक 15.5.2019.

-: अनवान :-

श्री दीपा पिता गमना गुर्जर निवासी अनोपपुरा तहसील देवगढ़

— प्रार्थी

बनाम

(1) श्री गोरूनाथ पिता भैरूनाथ नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(2) " हीरानाथ पिता भैरूनाथ नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(3) " गोपालनाथ पिता भैरूनाथ नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(4) श्रीमती पारसी पिता भैरूनाथ नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(5) " लाडूबाई पत्नी भैरूनाथ नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(6) श्री गोरधन पिता ओंगड़रावल नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(7) " संमदर पिता ओंगड़रावल नाथ निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(8) " कैलाश पिता ओंगड़रावल रावल निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(9) " बबरू पिता रूपा रावल, रावल निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(10) " कस्तुर पिता रूपा रावल, रावल निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(11) " रेमता पिता रूपा रावल रावल निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(12) " सुरेश पिता बबरू रावल निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा
(13) " नारायण पिता गोमारावल रावल निवासी भारतासिंहजीकागुड़ा

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. लै. रे. एक्ट

उपस्थित :- श्री उग्रपुलापसिंह वकील प्रार्थी
श्री लाडूनाथ योगी वकील विपक्षी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम अनोपपुरा प० स० कुन्दवा तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि स्थित है

प्रार्थी खातेदार होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है उक्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काश्त वगैरह करता आ रहा है किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षी जो उक्त भूमि की सीमा से मिलते हुऐ पड़ौसी है हर समय प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है जिससे फसल बुवाई व कटाई के समय सीमा संबंधी विवाद होता है तथा प्रार्थी को अनावश्यक मुकद्दमेबाजी के लिये विवश होना पड़ता है। मौके पर अशान्ति कायम रहती है जिससे प्रार्थी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग एव काश्त नही कर पा रहा है विपक्षी प्रार्थी की भूमि को अपना बताकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखते है जबकी उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है उक्त भूमि की नाप नपती पत्थरगढ़ी हो जाने पर भूमि की सीमा संबंधी जो विवाद है वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाऐगा और प्रार्थी उसकी भूमि का शान्ति पूर्वक उपभोग उपभोग काश्त वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी कियेगये। विपक्षीगण की ओर से वकील श्री लादूनाथ योगी ने वकालतनामा पेश किया। आज दिनांक को वक्त सुनवाई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित जिन्होंने पत्थरगढ़ी कियेजाने में सहमति जाहिर की तथा उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान कराने बाबत निवेदन किया। ग्राम अनोपपुरा की नकल जमाबंदी सं० 2070 से 2073 मे प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है खातेदार अपने खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी

ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खा. नं. 45 आ.नं. 10 रकबा 7.11 बीघा एवं आ.नं. 17 रकबा 23.12 बीघा कुल किता 2 रकबा 31.03 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को पाबंद कर प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा मौके पर पत्थरगढ़ी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.5.19. को खुले न्यायालय सुनायागया। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जावे।

ह/-
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द